RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

हर्ष कालीन राजनीतिक स्थिति : एक अध्ययन

प्रसून

एम॰ ए॰, एम॰ फिल, नेट इतिहास विभाग, मदवि, रोहतक

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
प्रशासन, राजा, मंत्रीगण, सामंत, सेना, दंडव्यवस्था, राजस्व

***Corresponding Author**
Email: - ydvprasoon@gmail.com

ABSTRACT

छठी शताब्दी में उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक कुशल साम्राज्य निर्माता होने के साथ–साथ एक योग्य प्रशासक भी था। बाणभट्ट की रचनाओं द्वारा तथा ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से हमें हर्ष कालीन राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा में देवत्व का अंश समझा जाता था।वह प्राचीन शास्त्रों के आधार पर प्रजा की रक्षा करना और उसका पालन को अपना सर्वोच्च कार्य समझता था। इस समय में दिए गए भूमि अनुदानों से शक्ति बड़े–बड़े सैनिक अधिकारियों, सामंतों के हाथों में चली गई। प्रशासन में सामंतों को विशिष्ट स्थान दिया गया क्योंकि इन सामंतो के पास अपनी विशाल सेना थी। यह सामंत सेना के रूप में हर्ष की मदद करते थे। इससे केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और राजा को सेना के लिए सामंतों पर निर्भर होना पड़ा।इस समय दंड व्यवस्था कठोर थी तथा दंड स्वरूप शरीर के अंगों को काट लिया जाता था। हर्ष काल में बहुत ही कम करो को लगाया गया था। राजा को भूमि का मालिक समझने के कारण उसे उपज का एक भाग मिलता था जिसे 'भोग' कहा जाता था।

भूमिका

छठी शताब्दी में श्रीकंठ जनपद में वर्धन वंश का उदय हुआ। इसके संस्थापक का नाम पुष्यभूति था। इसी वंश में हर्षवर्धन नाम का एक योग्य शासक हुआ। हर्ष ने अपनी शासन व्यवस्था में किसी नई शासन प्रणाली को नहीं अपनाया बल्कि उसने पहले की भांति चली आ रही शासन प्रणाली को कुछ परिवर्तनों के बाद अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। हर्ष कालीन राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रमुख स्त्रोत बाणभट्ट की रचनाएं हैं। हर्षचरित में पुष्यभूति वंश की वंशावली, समकालीन राज्यों से हर्ष के संबंधों का ज्ञान होने के साथ–साथ इस वंश के राजनीतिक कृत्यों का विवरण मिलता है। हर्ष कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन इसप्रकार से है–

हर्ष का प्रशासन

इस समय उत्तर भारत में राजतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद थी। राजा का पद सबसे बड़ा, वंशानुगत होता था। राजा को चक्रवर्ती, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि भारी भरकम उपाधिया दी जाती थी। चालुक्य अभिलेखों में हर्ष को 'सक्लोत्तरपथनाथ' कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि या तो उसने संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी या उसे अधिकसत्तात्मक सम्राट स्वीकार किया जा चुका था।[1] ह्वेनसांग के अनुसार, हर्ष का संपूर्ण दिन तीन भागों में विभक्त था– एक भाग में वह प्रशासनिक कार्य करता था, तथा दो भागों में धार्मिक कार्य करता था। वह अपनी प्रजा को जानने के लिए साम्राज्य में भ्रमण करता था। ऐसे समय उसके निवास के लिए अस्थाई आवास बनाए जाते थे जिन्हें 'जयस्कंदवार' कहा जाता था।[2] उसकी जरूरत की सभी वस्तुएं सजे साथ साथ चलती थी। बाणभट्ट ने हर्ष को सभी देवताओं का मेल कहा। बाण ने शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि की तुलना हर्ष से की तथा उसे उनमें श्रेष्ट बताया।[3] सिंहासन पर उत्तराधिकार बड़े पुत्र को मिलता था। स्त्रियों का उत्तराधिकार में कोई स्थान नहीं था परंतु हर्ष का बहन राज्यश्री के साथ संयुक्त शासन का उल्लेख बाणभट्ट की रचना से मिलता है। राजा सदैव प्रजा हित के कार्यों में लगा रहता था।

मंत्रीगण

हर्ष के समय मंत्री परिषद का औपचारिक वर्णन नहीं मिलता परंतु कुछ मंत्री अवश्य होते थे। अधिकारी जो प्रशासन में पद अनुसार कार्य करते थे युद्ध में भी भाग लेते थे जैसे हर्षचरित में भंडी सेना के साथ हर्ष के विजय अभियान में गया था। इस काल में पदाधिकारियों की गौरवपूर्ण उपाधियां व पदनाम मिलते हैं जैसे महासंधिविग्रहाधिकृत, महाप्रमातार, महाप्रतिहार आदि। राज्यसभा में पुरोहित का विशेष महत्व था किसी भी शुभ समारोह, अवसर पर उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि पुष्यभूति के महल में ज्योतिषियों, मौहूर्तिकों व पौराणिकों का दल रहता था। राज्यसभा की व्यवस्था व राज महल की सुरक्षा के लिए प्रतिहार, महाप्रतिहार होते थे। ये आगंतुकों को राजा के पास ले जाते थे।[4] हर्ष के दरबार में सामंतों का विशेष स्थान था। बाण ने सामंत, महासामंत, सामंतमहाराज आदि का उल्लेख किया है।[5] यह सामंत युद्ध के अवसर पर सम्राट को सैनिक सहायता देते थे हर्ष के प्रशासन के मुख्य पद निम्न है–

संधिविग्रहिक– युद्ध व संधि के लिए
महाबलाधिकृत – सेनापति
वृहदश्ववार – घुड़सवार सेनानायक
दूतक– दूत

RRIJM 2015, All Rights Reserved

महाप्रभातार– भूमि माप से संबंधित
पाटिपति– सेना का निरीक्षक

सेना

हर्ष कालीन सेना विशाल व संगठित थी। सेना के तीन अंग थे– गज सेना, अश्वसेना, पैदल सेना। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि हर्ष ने पांच हज़ार हाथी, बीस हज़ार अश्वरोही, पचास हज़ार पैदल सैनिकों के साथ अपनी विजय यात्रा आरंभ की थी।[6]हर्ष की सेना में ऊंट भी थे किंतु इन का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं बल्कि भारवाही पशु के रूप में होता था।[7] पदति सेना के लिए वेशभूषा, अलंकरण, अस्त्र–शस्त्रों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। सैनिक कृपाण, छुरी, भाला, धनुष–बाण आदि का प्रयोग करते थे। ढाल, कवच व शिरस्त्राण रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते थे।[8] सेना के कूच के समय नांदी पाठ किया जाता था, शंख बजाया जाता था।[9]ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि हर्ष की सेना में सामंतो द्वारा जुटाई सेना बहुत अधिक थी।[10] इसी कारण से हर्षवर्धन के पास इतनी बड़ी सेना थी।

दंड व्यवस्था

अपराधों के लिए दंड व्यवस्था थी। राजद्रोहियों को आजीवन कारावास दिया जाता था। ह्वेनसांग के अनुसार लोग नैतिक दृष्टि से उन्नत थे। वे पारलौकिक जीवन के दुखों से डरते थे। दंड विधान कठोर था। नाक, कान, हाथ–पैर आदि को दंड स्वरूप काट लिया जाता था। जल एवं विष परीक्षा की भी व्यवस्था थी। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'चाट', पुलिसकर्मियों,'भाट' का वर्णन मिलता है। दंडपाशिक व दाण्डिक पुलिस अधिकारी थे। [11]

शासकीय इकाई व पदाधिकारी

हर्ष का साम्राज्य कई इकाइयों में विभाजित था। केंद्रीय शक्ति का विकेंद्रीकरण हो चुका था। सारे साम्राज्य की भूमि को राज्य, भुक्ति, विषय, पाठक , ग्राम में बांटा गया था। केंद्र में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। प्रांतों के अधिकारी उपरिक कहलाते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करते थे। विषय का प्रधान विषयपति होता था। पाठक नामक इकाई वर्तमान की तहसीलों के बराबर थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी व इसका अधिकारी ग्रामिक था। [12]

राजस्व व्यवस्था

हर्ष कालीन राजस्व व्यवस्था उच्च कोटि की थी। हर्ष काल में बहुत कम कर लगाए गए थे। ताम्रपत्रों पर केवल तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है– भाग, हिरण्य, बलि। भाग भूमि कर था जो कि आय का छठा भाग था। यह राजा को दिया जाता था क्योंकि वह संपूर्ण भूमि का मालिक होता था। हिरण्य नगद कर था जो कि व्यापारी देते थे। बलिकर संभवत धार्मिक कर होगा। इस प्रकार से यह तीन प्रकार के करों का प्रचलन हर्ष कालीन समय में था। इसके अतिरिक्त उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था।[13] 'तुल्यमेय' कर तौल एवं माप के अनुसार वस्तुओं पर लगाया जाता था।[14] राज्य भूमि से जो भी आय मिलती थी उसे चार भागों में बांट कर खर्च किया जाता था– एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग राजकीय अधिकारियों पर, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में तथा चौथा भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देने में।[15]

निष्कर्ष

अंत में यह स्पष्ट है कि एक विजेता, प्रशासक और साम्राज्य निर्माता के रूप में हर्ष एक कुशल शासक था। हर्ष ने अपनी शासन व्यवस्था में किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया अपितु उसने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ परिवर्तन के बाद अपने साम्राज्य में अपना लिया। शक्ति के विकेन्द्रीकरण के बावजूद हर्ष ने अपने साम्राज्य को भली भांति संभाल के रखा और अन्य समकालीन राजवंशो के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी।

संदर्भ

1. पाठक, विशुद्धानंद, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, महावीर प्रेस, वाराणसी, 1973, पृ. 56.
2. श्रीवास्तव, के.सी, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति,यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद,2012–13, पृ. 487
3. गोयल,श्रीराम,हर्ष शिलादित्य, कुसुमांजलि प्रकाशन, मेरठ, 1986, पृ. 210– 211
4. गोयल,श्रीराम, मौखिरी–पुष्यभूति–चालुक्य युग, कुसुमांजलि प्रकाशन, मेरठ, 1988, पृ. 293– 294
5. पाठक, विशुद्धानंद, पूर्वोक्त,पृ. 60– 61
6. गोयल,श्रीराम,हर्ष शिलादित्य, पूर्वोक्त पृ.221
7. गोयल, शंकर,प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, बुक एनक्लेव, जयपुर, 2001, पृ. 119
8. बाणभट्ट, हर्षचरित,काणे. पी.वी (संपादित)मोतीलाल बनारसीदास, 1965,पृ. 111
9. कालरा,अर्चना, प्राचीन भारतीय संस्कृत चरित साहित्य में इतिहास,वाइकिंग बुक्स, जयपुर, 2017, पृ.138
10. झा, द्वीजेंद्रनारायण एवं श्रीमाली, कृष्णमोहन,प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1981, पृ. 292
11. श्रीवास्तव, के.सी, पूर्वोक्त. पृ. 489
12. गौरव, प्रशांत, पूर्व मध्यकालीन भारत, राजकमल प्रकाशन,दिल्ली,2009, पृ. 111
13. गोयल, श्रीराम मौखरी– पुष्यभूति –चालुक्य, पूर्वोक्त, पृ. 298
14. श्रीवास्तव, के.सी, पृ.489
15. वही, पृ.489

RRIJM 2015, All Rights Reserved